

Order sheet [Contd]

case No BA- 06/2018

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
<p>आवेदक/अभि 10-01-18 03:00 P.M to 03:15 P.M.</p>	<p>आवेदक/अभियुक्त राजकुमार कौरव द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित। राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित। फरियादी द्वारा श्री एम.पी.एस. राणा अधिवक्ता उप0। थाना मौ के अपराध क्रमांक 333/17 अंतर्गत धारा 327, 347 एवं 329 भा0दं0सं0 की कैफियत एवं केस डायरी प्राप्त। आवेदक राजकुमार के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 दं0प्र0सं0 के समर्थन में आवेदक राजकुमार के भाई रामकुमार की ओर से शपथपत्र प्रस्तुत किया है। आवेदन एवं शपथपत्र में यह व्यक्त किया है कि आवेदक का यह प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 का है। इस प्रकृति का अन्य कोई आवेदन इस न्यायालय, समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो प्रस्तुत किया गया है और न विचाराधीन है और न ही निरस्त किया गया है। ऐसा ही केस डायरी से भी स्पष्ट है। आवेदक राजकुमार के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 पर उभय पक्ष के तर्क सुने गये। आवेदक की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि आवेदक ने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक के विरुद्ध विरोधियों ने पुलिस थाना मौ से मिलकर एक झूठा अपराध क्रमांक 333/17 अंतर्गत धारा-327, 347 भा0दं0सं0 का पंजीबद्ध कराया है। जिसके बाद धारा-329 भा0दं0सं0 का इजाफा किया गया है। आवेदक ने आहत के साथ कोई मारपीट नहीं की है। आवेदक शासकीय सेवा में होकर शिक्षक है तथा उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। ट्रक चालक के द्वारा आवेदक की बुलेरो गाडी में बगल से टक्कर मारी गई है। जिसके संबंध में ट्रक चालक द्वारा अपने सहयोगी के साथ मिलकर आवेदक व अन्य के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है और उसे झूठा फंसाया है। आवेदक शिक्षक होने से अपने परिवार में अकेला कमाने वाला है। यदि वह अधिक समय तक निरोध में रहा तो उसके परिवार के भूखों मरने का अंदेशा है। प्रकरण में विवेचना पूर्ण हो चुकी है और चालान भी पेश होने वाला है आवेदक को इस प्रकरण में दिनांक 24.12.17 को निरोध में लिया गया है। इस प्रकार आवेदक करीब 10-15 दिन से निरोध में है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है। अभियोजन की ओर से घोर विरोध किया गया है और अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किये जाने पर बल दिया है। फरियादी/आपत्तिकर्ता राजेश शर्मा की ओर से श्री एम.पी.एस. राणा अधिवक्ता द्वारा लिखित आपत्ति पेश कर निवेदन किया है कि अभियुक्तगण द्वारा</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleadings where necessary
	<p>मुख्यमार्ग पर स्थित फरियादी के पेट्रोल पंप पर डीजल लेकर आ रहे टैंकर के ड्रायवर के साथ में घटना घटित की है तथा उसकी मारपीट भी की है तथा ड्रायवर माखन के फ्रेक्चर भी आया है, जिसके कारण ड्रायवर माखन एवं फरियादी के पेट्रोल पंप पर कार्य करने वाले व्यक्तियों में भय उत्पन्न हो गया है। फरियादी अपने कारोबार को करने में भी परेशानी महसूस कर रहा है। घटना भय कारित करने तथा व्यवसाय को प्रभावित करने हेतु लूट करने एवं अन्य गंभीर किस्म के अपराध कारित करने के उद्देश्य से की गई है। इस कारण यदि अभियुक्तगण को जमानत पर उन्मुक्त किया गया तो पुनः इसी प्रकृति का या अन्य गंभीर प्रकृति का अपराध घटित करने की प्रबल संभावना है एवं जमानत पर रिहा होने के बाद अभियुक्तगण के होसले बुलंद हो जाएंगे। आवेदक की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया गया है।</p> <p>उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 23.12.17 को रात्रि 09:00 बजे के लगभग ग्राम इटायदा मोड के पास झांकरी गोहद रोड पर फरियादी राजेश शर्मा अपने टैंकर का इंतजार कर रहा था, कुछ देर में टैंकर क्रमांक एम.पी.-33-एच.-1759 आकर रुका, ड्रायवर माखन चंदेल उतरा और उससे बात करने लगा तभी पीछे से सफेद रंग की बुलेरो क्रमांक एम.पी.-007-सी.ई.-5485 आई जिसमें से दो व्यक्ति उतरे जो शराब लिए थे तथा माखन ड्रायवर से शराब के लिए रूपए मांगने लगे, मना करने पर दोनों जबरदस्ती अपनी बुलेरो में अवैध कार्य करने के उद्देश्य से माखन को बिठाकर ले गए, रास्तों में दोनों अभियुक्तगण राजकुमार कौरव एवं सोनू कौरव माखन की मारपीट करते रहे। उन्होंने माखन के कपड़े उतारने का प्रयास किया तथा पैसे न देने पर एक्सीडेंट के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। गुरुयांची, रतवा रोड नदी के पास पहुंचने पर मौ थाने की पुलिस आ गई और उन्होंने अभियुक्तगण को पकड़ा।</p> <p>माखन की एम.एल.सी. का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसे नीचे के होंठ पर सीधे गाल पर सीधे हाथ की इण्डेक्स फिंगर पर कंटूजन पाया गया है पीठ में दर्द की शिकायत है। एक्सरे रिपोर्ट का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि एक्सरा दिनांक 25.12.17 को किया गया है। जिसमें सीधे हाथ की इण्डेक्स फिंगर में फ्रेक्चर होना पाया गया है। आवेदक राजकुमार कौरव का दिनांक 24.12.17 से अर्थात् 17 दिवस से निरोध में होना बताया गया है। आवेदक की ओर से संविदा के पद पर होने के आदेश की फोटोप्रति, बुलेरो के फोटो प्रस्तुत किए गए हैं।</p> <p>यद्यपि आवेदक की ओर से संविदा शिक्षक होने के संबंध में आदेश की प्रति पेश की गई है। परंतु म0प्र0 डकैती व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleadings where necessary
	<p>की धारा-2(च)(तीन) के अनुसार धारा-347 भा0दं0सं0 को विनिर्दिष्ट अपराध के रूप में दर्शाया गया है। संबंधित क्षेत्र डकैती प्रभावित क्षेत्र होना प्रकट है। इस प्रकार इस मामले में धारा-347 भा0दं0सं0 होने से म0प्र0 डकैती व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के प्रावधान प्रथम दृष्टि में आकर्षित हो रहे हैं। आवेदक को झूठा फंसाया गया है अथवा नहीं, यह गुणदोष के प्रश्न है।</p> <p>म0प्र0 डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा-5(2) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि जमानत आवेदन का विरोध किया गया हो, तो आवेदन मंजूर नहीं किया जाएगा।</p> <p>इस प्रकार धारा-5(2) के तहत विरोध किए जाने पर जमानत मंजूर किए जाने का वर्जन है। अतः आवेदक का जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।</p> <p>आदेश की प्रति केस डायरी सहित थाना मौ की ओर प्रेषित की जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p>(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड</p>	